27-08-2020

विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार जोहन उराँव, पिता - पाँटू उराँव को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के पोता लौरेन्तुस लकड़ा द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम पाकरवहार, खाता सं० 62 प्लॉट सं० — रकबा 0.80 ए० भूमि का वर्ष 2012-13 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान लौरेन्तुस लकड़ा ने अपना लिखित बयान दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया हे कि पंजी ii में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार एवं खेसरा संख्या दर्ज नहीं है। रा०उ०नि० एवं अं०नि० ने जमाबन्दी रद् करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जोहन उराँव, पिता - पाँटू उराँव, ग्राम - पाकरवहार के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पडता है :–

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
पाकरवहार	61	62	—	0.80 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड रॉंची का पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के आधार पर उपरोक्त जमाबन्दी को निरस्त किया जाता है।

लेखापित

27/08/2020

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

27/08/2020

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

Scanned with CamScanner